(ग) क्या सरकार मणिपुर रेडियो स्टेशन से हिंदी गानों का प्रसारण पुनः आरम्भ करेगी और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आकाशवाणी, इम्फाल से हिंदी गानों का प्रसारण बन्द नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए धन

*428. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पहले वाले और संशोधित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को आवंटित की गई धनराशि तथा अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या इस राज्य में कार्यक्रम निर्धारित समय से पिछड़े रहा है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की संशोधित मार्गदर्शिकाएं राज्य सरकारों को मार्च, 1991 में भेजी गई थीं। गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कायक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को किया गया आवंटन निम्नलिखित अनुसार था :—

(लाख रुपयों में)

1989–90 . .	265.05
1990–91 . .	265.05
1991–92 . .	530.40

उपरोक्त अवधि के दौरान उपलब्धि निम्नलिखित अनुसार थी :—

	(निर्मित स्वच्छ शौचालयों की संख्या) उपलब्धि
1989–90 . .	6058
1990–91 . .	5411
1991–92 . .	2678

(ख) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट समय-अनुसूची निर्धारित नहीं की गई थी। तथापि, राज्य सरकार को पूरी आवंटित राशि रिलीज न किए जाने के कारण वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्तनहीं किया जा सका।

Industrial accident at Braithwaite and Company Limited

429. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an industrial accident took place on July 20, at Braithwaitt and Co. Limited's Angus factory into Hooghly killing seven workers and injuring some others;

(b) whether any inquiry has been conducted into the incident, if so, the details thereof; and

(c) the compensation paid to the dependents of the deceased and the injured workers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL WITH ADDITIONAL CHARGE OF MINISTER OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes Sir. The death tool has since risen to nine.

(b) The Department of Heavy Industry has constituted a panel of experts to enquire into the accident.

(c) An ex-gratia amount of Rs. one lakh each to the families of the deceased,

Rs. 25,000 each to seriously injured persons and Rs. 3000 each to other injured persons has been announced.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं के निर्गम मूल्य में संशोधन

*430. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्यों को सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं के निर्गम मूल्य में संशोधन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इनके मूल्यों में वृद्धि करने के पश्चात् राज सहायता में कितनी वृद्धि की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि राजसहायता में वृद्धि के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु उपलब्ध कराए जा रहे चावल, गेहूं, लेवी चीनी और आयातित खाद्य तेल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वर्ष 1991–92 के दौरान वृद्धि की गई थी। मिट्टी के तेल के मूल्यों में कमी की गई थी।

भारत सरकार द्वारा राजसहायता इस कार्य के प्रचालन की कुल लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जिन पर वे राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए जाते हैं, के बीच अन्तर होने के कारण दी जाती है। आम तौर पर निर्गम मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव के कारण अधिप्राप्ति मूल्यों में हुई वृद्धि आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से निष्प्रभावी हो जाती है जिससे राजसहायता के स्तर में कमी आती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाना एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। हालांकि इस प्रणाली में, बड़े पैमाने पर विविध कार्यकलापों के शामिल होने के कारण कई बार स्थानीय कमी हो सकती है, तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आम तौर पर एक समान मूल्यों पर मूलभूत आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध तथा सुलभ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है ?। राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपने अधिकारियों के जरिए वस्तुओं की आपूर्ति और उपलभ्यता की नियमित रूप से परिवीक्षा की जाती है। इसके अलावा, अधिकतर राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए विभिन्न स्तरों पर सतर्कता सलाहकार समितियां गठित करने की सूचना दी है।

Posting of Air programme officers

*431. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

SHRI KRISHAN LAL SHARMA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there are a number of A.I.R. Programme Officers like Programme Executives, Assistant Station Directors and Station Directors, who are in Delhi exceeding thei normal period of posting of four years at one station;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the reasons for their overstay in Delhi; and

(d) whether the normal rule would be applied to them, as is done in case of AIR officers posted at stations other than Delhi?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) and (b) The details of Programme Executives, Assistant Station Directors and Station Directors who have completed four years of their posting at Delhi are as under:—

Station Directors	— 14
Assistant Station Directors	— 1